भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

सीईएन 02/2018 (7वें सीपीसी के अनुसार स्तर 1 के पद)

परीक्षा शुल्क की वापसी तथा बैंक विवरण में संशोधन

ऐसे उम्मीदवार, जो सीईएन 02/2018 के अंतर्गत स्तर 1 के पदों के लिए आयोजित सीबीटी में शामिल हुए थे, उनके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा शुल्क की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

धन वापसी की प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया कि अधोलिखित कारण(णों) से बहुत से उम्मीदवारों के लिए धन वापसी नहीं हो पाई/ प्रारंभ नहीं की जा सकी :

क) उम्मीदवार द्वारा गलत बैंक विवरण प्रस्तुत किया जाना जैसे, गलत खाता संख्या, बैंक शाखा का गलत आईएफएससी कोड, खाता संख्या के स्थान पर ग्राहक का आईडी भरना इत्यादि।

ख) बहुत सारे उम्मीदवारों द्वारा एक ही खाता संख्या प्रस्तुत किया जाना।

ग) उम्मीदवारों द्वारा खाता संख्या प्रदान नहीं किया जाना।

इन उम्मीदवारों को बैंक खाता विवरण प्रस्तुत/ संशोधित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण को संशोधित करने के लिए एक बार अवसर देने का निर्णय लिया है। तद्नुसार ***अद्यतन बैंक खाता लिंक (अपडेट बैंक एकाउंट लिंक)*** रेलव भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रदान की जाएगी, जो कि **दिनांक 22.03.2019 से दिनांक 28.03.2019**तक उपलब्ध रहेगी। इन उम्मीदवारों द्वारा अपना बैंक खाता विवरण संशोधित/ प्रदान करने की सूचना देने के लिए एसएमएस/ ई-मेल भी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना बैंक विवरण अद्यतन करने के लिए इस एक बार प्रदत्त अवसर का उपयोग करें।

उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि भरे गए बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सही हैं तथा बैंक खाता विवरण को जमा करने से पूर्व ध्यानपूर्वक जाँचे। यह नोट करें कि बैंक विवरण को जमा करने के पश्चात् उसमें संशोधन संभव नहीं होगा। उम्मीदवारों द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किए जाने के कारण, यदि धन वापसी में आगे कोई विफलता होती है, तो उसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में किए जाने वाले भावी पत्राचारों पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक : 19.03.2019

अध्यक्षगण
रेलवे भर्ती बोर्ड